न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– सन् 2026
मुकदमा अपराध संख्या:– 238 सन् 2026
सरकार बनाम तुषार
धारा– 109(1),324(4),3(5) बी.एन.एस.
थाना– गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।

आदेश

दिनांकः–25.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या 238 सन् 2026, सरकार बनाम तुषार, धारा– 109(1),324(4),3(5) बी.एन.एस., थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर के मामले में अभियुक्त **तुषार** का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरुद्ध है। उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। इन्हीं आधारों पर जमानत की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि जुर्म धारा अजमानतीय व सत्र परीक्षणीय है। जमानत का प्रबल विरोध है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त उक्त मुकदमे में दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियुक्त पर यह आरोप लगाये गये है कि उसने सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18.05.2026 को दिन में वादिनी की स्कूटी तोड़ी व उक्त दिनांक की रात को वादिनी के दरवाजे पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। अभियुक्त का अपराध अजमानतीय तथा गम्भीर प्रकृति का है। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रार्थी/ अभियुक्त **तुषार** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अर्जुन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या –1 बुलन्दशहर।